कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
संविधानक मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिनारी
१. नेपालक संविधानद्वारा आत्मसात कएल मूल्य, मान्यता आ सिद्धान्त

- नेपालक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता आ स्वाभिमानके अक्षुण्ण रखबाक ।
- जनताक सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता आ स्वशासनक अधिकारके आत्मसात कएलगेल ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र आ अग्रगामी परिवर्तनक लेल भेल ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग आ बलिदानक स्मरण करैत शहीद तथा बेपत्ता आ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताके आत्मसात करैत विविधताबीचके एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता आ सद्भावक संरक्षण एवं प्रवर्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आ सबतरहक जातीय छुवाछूतके अन्त्य कऽ आर्थिक समानता आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण ।
- जनताक प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आ सक्षम न्यायपालिका आ कानूनी राज्यक अवधारणामे आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहैत समृद्ध राष्ट्र निर्माण करबाक प्रतिबद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाक माध्यमद्वारा शान्ति, सुशासन, विकास आ समृद्धि करबाक उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासँ जारी भेल संविधान नेपालक मूल कानून अछि ।
- संविधानसँ बाझल कानून जाहि हदधरि बाझत तत्तऽधरि अमान्य हएत ।
- संविधानक पालना करब प्रत्येक व्यक्तिक कर्तव्य हएत ।
- नेपालक सार्वभौमसत्ता आ राजकीयसत्ता नेपाली जनतामे निहित रहल अछि ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामे रहल समान आकांक्षा आ नेपालक राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहैत एकताक सूत्रमे आबद्ध राष्ट्रक रुपमे रहत ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद दिश बढैत, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य अछि ।
- नेपालमे बाजल जायबला सब मातृभाषासब राष्ट्रभाषाक रुपमे रहत ।
- देवनागरी लिपिमे लिखल जायबला नेपाली भाषा नेपालक सरकारी कामकाजक भाषा अछि ।
- नेपाली भाषाक अतिरिक्त प्रदेश अपन प्रदेशभितर बहुसंख्यक जनता जे भाषा बजैत अछि तेहन राष्ट्रभाषाके प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशक सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करऽसकत ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कोनो नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त करबाक हकसँ वञ्चित नईं हएत ।
- प्रादेशिक पहिचान सहितके एकल संघीय नागरिकताक व्यवस्था कएलगेल ।
- संविधान प्रारम्भ भेल समयमे नेपालक नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति नेपालक नागरिक हएत ।
- वंशजक आधारमे नेपालक नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति हुनक बाबु वा मायक नामसँ लैङ्गिक पहिचानसहितक नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त करत ।
- नागरिकके परिचय बुझाए तेनाकऽ अभिलेख राखल जायत ।
- नेपाली नागरिकता प्राप्त हेबाक अवस्था :-

१. वंशज

- संविधान प्रारम्भ होबऽसँ पहिने वंशज नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति,
- जन्म भेलापर कोनो व्यक्तिक बाबु वा माय नेपालक नागरिक रहल अवस्थामे तेहन व्यक्ति,
- संविधान प्रारम्भ होबऽसँ पहिने बाबु आ माय दुनू जन्मक आधारमे नेपालक नागरिकता प्राप्त कएने सन्तान बालिग भेलाक बाद,
- नेपालभितर भेटल पितृत्व आ मातृत्वक ठेकान नईं भेल नाबालक हुनक बाबु वा माय नईं भेटत ताधरि,
- नेपालक नागरिक मायसँ नेपालमे जन्मभऽकऽ नेपालेमे रहैत आएल आ बाबुक पहिचान नईं होबऽसकल व्यक्ति,
  मुदा बाबु विदेशी नागरिक रहल प्रमाणित भेलापर संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामे परिणत हएत,
- विदेशी नागरिकसँ वियाह कएनिहारि नेपाली महिला नागरिकसँ जन्मल, नेपालमे स्थायी बसोबास करैत विदेशक नागरिकता प्राप्त नईं केनिहार आ नागरिकता प्राप्त करैतकाल हुनक माय आ बाबु दुनू नेपाली नागरिक छथि तहन नेपालमे जन्मल तेहन व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कऽ सकत ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- नेपाली नागरिकसँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम केनिहारि विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,
- विदेशी नागरिकसँग विवाह केनिहारि नेपाली नागरिकसँ जन्मिल, नेपालमे स्थायी रुपसँ रहैत आएल आ विदेशी नागरिकता प्राप्त नईं केनिहार व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम
  मुदा नागरिकता प्राप्त करैत समयमे माय आ बाबु दुनू नेपाली नागरिक भेलापर वंशजक आधारमे नेपाली नागरिकता प्राप्त करत ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान कएल जायत ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- विदेशक नागरिकता प्राप्त केनिहार, सार्क बाहेकके देशमे रहैत आएल, साविकमे वंशज वा जन्मक आधारमे निज वा निजके बाबु वा माय, बाबा वा दादी नेपालक नागरिक रहिक६ बादमे विदेशी नागरिकता प्राप्त केनिहार व्यक्ति
- संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करबाक

५. नेपालमे जोड़ल क्षेत्रमे रहनिहार व्यक्तिक नागरिकता

- नेपालभितर जोडबाजोगर कोनो क्षेत्र प्राप्त भेलापर तेहन क्षेत्रभितर रहैत आएल व्यक्ति संघीय कानूनक अधीनमे रहैत नेपालक नागरिक हएत ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालक संविधानमे सबहक लेल सम्मानपूर्वक जीबाक हक, स्वतन्त्रताक हक, समानताक हक, सञ्चारक हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितक हक, यातना विरुद्धक हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धक हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धक हक, सम्पत्तिक हक, धार्मिक स्वतन्त्रताक हक, सूचनाक हक, गोपनीयताक हक, शोषण विरुद्धक हक, स्वच्छ वातावरणक हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिक हक, रोजगारीक हक, श्रमक हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासक हक, महिलाक हक, बालबालिकाक हक, दलितक हक, ज्येष्ठ नागरिकक हक, सामाजिक न्यायक हक, सामाजिक सुरक्षाक हक, उपभोक्ताक हक, देश निकाला विरुद्धक हक, संवैधानिक उपचारक हकके मौलिक हकके रुपमे स्थापित कएल गेल अछि । सँगहि, संवैधानिक निकायक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था कएल गेल अछि ।
एहिके अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भेल व्यक्ति, थारु आ मुस्लिमके सम्बन्धमे अन्य अधिकार एहि तरहे अछि :

४.१ महिलाक अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक
- लैंगिक विभेद अन्त्य करबाक ।
- मायक नामसँ नागरिकता प्राप्त करबाकसहितके नागरिकता सम्बन्धी विषयउपर नागरिकताक शीर्षक अन्तर्गत लिखल बमोजिम हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल महिलासहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- महिलाके लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हएत ।
- महिलाके सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्यक हक हएत ।
- महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कोनो आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कोनो तरहक हिंसाजन्य काज वा शोषण नईं कएल जायत आ तेहन काज दण्डनीय हएत तथा पीडितके क्षतिपूर्ति भेटत ।
- राज्यक सब निकायमे महिलाक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारमे सहभागीता हएत ।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षामे सकारात्मक विभेदक आधारमे विशेष अवसर प्राप्त करत ।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामे दम्पतीक समान हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल महिला, सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- आर्थिक रूपसँ गरिब, अशक्त आ असहाय अवस्थामे रहल, असहाय एकल महिलाके सेहो सामाजिक सुरक्षा पाबऽके हक हएत ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य आ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- असहाय अवस्थामे रहल एकल महिलाके कला, क्षमता आ योग्यताक आधारमे रोजगारीमे प्राथमिकता दैत जीविकोपार्जनक लेल समुचित व्यवस्था करबाक ।
- संकटमे परल, सामाजिक आ पारिवारिक बहिष्करणमे परल तथा हिंसा पीडित महिलाके पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कऽ स्वावलम्बी बनएबाक ।
- प्रजनन अवस्थामे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगक सुनिश्चितता करबाक ।
- बालबच्चाक पालन पोषण, परिवारक रेखदेख जेहन काज आ योगदानके आर्थिक रूपमे मूल्यांकन करबाक ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीक पहिचान कऽ रहबालेल घर,जमिन तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीक व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
- आर्थिक रूपसँ विपन्नकेँ प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- राज्यक संरचना करैतकाल समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति अलग अलग लिंग वा समुदायक हएबाक ।
- प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनमे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीक लेल उम्मेदवारी दैतकाल महिलाके सेहो समावेश कऽ बन्दसूची तयार करबाक ।
- संघीय संसद आ प्रदेश सभामे निर्वाचित भेनिहार कुल सदस्यक कम्तीमे एक तिहाइ महिला सदस्य हएत तेनाकऽ सुनिश्चित कएल गेल ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे तीन गोटे महिला निर्वाचित हएबाक आ मनोनीत करैतकाल कम्तीमे एक गोटे महिला समावेश करबाक ।
- प्रतिनिधि सभाक सभामुख आ उपसभामुखमेसँ एक गोटे आ राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष आ उपाध्यक्षमेसँ एक गोटे महिला हएत ।
- प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मेसँ एक गोटे महिला हएत ।
- गाम कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामे चारि गोटे महिला सदस्य रहबाक ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे कम्तीमे तीनगोटे महिला रहबाक ।
- गाउँपालिका आ नगरपालिकाके प्रत्येक वार्डसँ कम्तीमे दुगोटे महिलाक प्रतिनिधित्व हुअए तेनाकऽ गाउँसभा आ नगरसभाक गठन हएत ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायक रुपमे रहत आ ताहिके अध्यक्ष आ सदस्यसब महिला मात्र रहत ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करऽ सकत ।
- नेपाली सेनामे महिलाके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे कएल जायत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- संवैधानिक निकाय आ अन्य निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।

४.२ दलितक अधिकार सम्बन्धमे

- सब प्रकारक जातीय छुवाछूतके अन्त करबाक ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित कएनाई राज्यक राजनीतिक उद्देश्य होएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या आन कोनो आधारपर भेदभाव नईं कएलजाएत ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल महिला, दलित, लगायत नागरिकक संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासकलेल कानून अनुसार विशेष व्यवस्था करबाक ।
- कोनो व्यक्तिके उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय या शारीरिक अवस्थाक आधारपर कोनो निजी एवम् सार्वजनिक स्थानमे कोनो प्रकारक छुवाछूत या भेदभाव नईकएल जाएत ।

- कोनो वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन या वितरण करैत ओहन वस्तु, सेवा या सुविधा कोनो खास जात या जातिक व्यक्तिके खरीद या प्राप्त करऽसँ रोक लगाएव या ओहन वस्तु, सेवा या सुविधा कोनो खास जात या जातिक व्यक्तिके मात्र बिक्री वितरण या प्रदान नईं कएलजाएत ।
- उत्पत्ति, जात, जाति या शारीरिक अवस्थाक आधारपर कोनो व्यक्ति या समुदायके उच्च या नीच देखएवाक, जात, जाति या छुवाछूतक आधारपर सामाजिक भेदभावके न्यायोचित बुझबला या छुवाछूत एवम् जातीय उच्चता या घृणामे आधारित विचारक प्रचार प्रसार करवाक या जातीय विभेदके कोनो प्रकारसँ प्रोत्साहन करऽ नईं पएवाक ।
- जातीय आधारपर छुवाछूत कऽ या नईं कऽ कार्यस्थलपर कोनो प्रकारक भेदभाव करऽ नईं सकवाक ।
- सब प्रकारक छुवाछूत एवम् भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधक रूपमे दण्डनीय होएवाक आ पीडितद्वारा क्षतिपूर्ति पएवाक ।
- दलित राज्यक सब निकायमे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तक आधारपर सहभागी होबऽ सकवाक ।

- दलित समुदायसब अपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप आ प्रविधिक प्रयोग, संरक्षण आ विकास कऽसकवाक ।
- सार्वजनिक सेवासहितक रोजगारीक अन्य क्षेत्रमे दलित समुदायक सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व आ सहभागिताक लेल विशेष व्यवस्था कएल जायत
    - दलित विद्यार्थीके प्राथमिकसँ उच्च शिक्षाधरि छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाक व्यवस्था कएल जायत ।
    - प्राविधिक आ व्यावसायिक उच्च शिक्षामे दलितक लेल विशेष व्यवस्था कएल जायत ।
    - दलित समुदायके स्वास्थ्य आ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करबालेल विशेष व्यवस्था कएल जायत ।
    - दलित समुदायक परम्परागत पेशासँ सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमे हुनकासभके प्राथमिकता दैत ताहिकेलेल आवश्यक सीप आ स्रोत उपलब्ध कराओल जायत ।
    - भूमिहीन दलितके एकपटक जमीन उपलब्ध कराओल जायत आ आवासविहीन दलितके रहबाक व्यवस्था कएल जायत ।
    - दलित समुदायके प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष आ सब समुदायक दलित समानुपातिक रूपमे भेटए तेनाकऽ न्यायोचित वितरण कएल जायत ।
    - सामाजिक रूपसँ पाछा परल, महिला, दलितके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागि हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
    - समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारक नाममे होबऽबला सब तरहक विभेद, असमानता, शोषण आ अन्यायक अन्त्य करबाक ।
    - हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीके पहिचान कऽ रहबाक लेल घर, घरारी तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीक व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
    - उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रक नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
    - सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
    - समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचन लेल राजनीतिक दल उम्मेदवारी दैतकाल समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
    - राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे एक गोटे दलितके निर्वाचित करबाक ।
    - गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ गाउँ सभासँ निर्वाचित दूगोटे सदस्य रहबाक ।
    - नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ नगर सभाद्वारा निर्वाचित तीनगोटे सदस्य रहबाक ।
    - जिला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकसँ जिला सभाद्वारा निर्वाचित कम्तीमे एक गोटे सदस्य रहबाक ।
    - राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायक रुपमे रहत आ ताहिके अध्यक्ष आ सदस्य दलित मात्र रहत ।
    - राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करऽ सकत ।
    - नेपाली सेनामे दलित समेतके प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे कएल जायत ।
    - नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।
    - संवैधानिक अंग आ निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

४.३ मधेशीक अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल मधेशीसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएबाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल मधेशीके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारक नाममे होबऽबला सब तरहक विभेद, असमानता, शोषण आ अन्यायक अन्त्य करबाक ।
- मधेशीके आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभक समान वितरण तथा तेहन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकासक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीक पहिचान कऽ रहबालेल घर, घरारी तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीक व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैत काल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलके उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करबाक ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे नेपालमे एक मधेशी आयोग रहत ।
- नेपाली सेनामे मधेशीके सहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे हएत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

४.४ आदिवासी जनजातिके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- जातिय, क्षेत्रीय आ भाषिक विभेदक अन्त्य करबाक ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत,
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल आदिवासी, आदिवासी जनजातिसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएबाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे बसोबास कएनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल, आदिवासी, आदिवासी जनजातिके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- राष्ट्रिय सम्पदाक रूपमे रहल कला, साहित्य आ सङ्गीतक विकासमे जोड देबाक,
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारक नाममे होबऽबला सब तरहक विभेद, असमानता, शोषण आ अन्यायक अन्त्य करबाक ।
- देशके सांस्कृतिक विविधताके यथावत रखैत समानता एवं सहअस्तित्वक आधारमे विभिन्न जातजाति आ समुदायक भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र आ सम्पदाक संरक्षण आ विकास करबाक ।
- आदिवासी जनजातिक पहिचानसहित सम्मानपूर्वक जीबाक अधिकार सुनिश्चित करबाक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- आदिवासी जनजातिसँ सरोकार राखऽबला निर्णयमे सहभागी करएबाक ।
- आदिवासी जनजाति आ स्थानीय समुदायक परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा आ अनुभवके संरक्षण आ संवर्धन करबाक ।
- राज्यक संरचना करैत समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायक हएत ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दल उम्मेदवारी दैत काल समावेशी आधारमे करत ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे नेपालमे एकटा आदिवासी जनजाति आयोग रहत ।
- नेपाली सेनामे आदिवासी जनजातिके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे हएत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति हएत ।

४.५ पिछडा वर्गक अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल पिछडा वर्गसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल पिछडा वर्गके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभक समान वितरण तथा तेहन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकासक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽका प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- पिछडा वर्गके सेहो हक अधिकारक संरक्षणक लेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था ।
- नेपाली सेनामे पिछडा वर्गके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदायक अधिकार सम्बन्धमे

- राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक रूपसँ पाछा पारल, विभेद आ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताक कारणसँ सेवा सुविधाक उपभोग नईं कऽ सकल वा मानव विकासक स्तरसँ न्यून स्थितिमे रहल समुदायके सीमान्तीकृत समुदायक रुपमे परिभाषा कएलगेल ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल सीमान्तीकृत समुदायसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।

- सामाजिक रूपसँ पाछा परल सीमान्तीकृत समुदायके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रक नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- सीमान्तीकृत समुदायके सेहो हक अधिकारक संरक्षण करबालेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदायक अधिकार सम्बन्धमे

- निर्धारित प्रतिशतसँ कम जनसंख्या रहल जातीय, भाषिक आ धार्मिक समूहके अल्पसंख्यकके रुपमे परिभाषा कएल गेल ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल अल्पसंख्यकसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल अल्पसंख्यकके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- अपन पहिचान कायम राइख सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे एक गोटे अपांगता भेल व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हएबाक सुनिश्चित कएल गेल ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ गाउँ सभाद्वारा निर्वाचित दूगोटे सदस्य हएबाक सुनिश्चित कएलगेल ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित वा अल्पसंख्यक समुदायसँ नगर सभाद्वारा निर्वाचित तीनगोटे सदस्य हएबाक सुनिश्चित कएलगेल ।
- जिला समन्वय समितिमे दलित वा अल्पसंख्यकमेसँ जिला सभाद्वारा निर्वाचित कम्तीमे एक गोटे सदस्य रहबाक सुनिश्चित कएलगेल ।
- अल्पसंख्यक समुदायके सेहो हक अधिकारक संरक्षण करबालेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।

४.८ थारुक अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करबाक ।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल थारूसहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएबाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल थारुके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीक पहिचान कऽ रहबालेल घर घरारी तथा जीविकोपार्जनक लेल कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था करैत पुनःस्थापना करबाक ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे एक थारु आयोगक व्यवस्था कएलगेल ।
- राज्यक संरचना करैतकाल समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायक हएबाक ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी आधारमे करबाक ।
- संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था कएल गेल ।
- नेपाली सेनामे थारुके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे कएल जायत ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- जनसंख्याक घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातक सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षके सेहो ध्यानमे रखैत काज करबालेल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हएत ।

४.९ मुस्लिमक अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करबाक ।
- समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य आ मान्यता सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल मुस्लिमसहितके नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- नेपालमे रहैत आएल प्रत्येक नेपाली समुदायके कानून बमोजिम अपन मातृभाषामे शिक्षा पएबाक आ ताहिके लेल विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलबाक आ सञ्चालन करबाक हक हएत ।
- नेपालमे रहनिहार प्रत्येक नेपाली समुदायके अपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आ सम्पदाक संवर्धन आ संरक्षण करबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल मुस्लिमके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- मुस्लिम समुदायके सेहो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आ लाभक समान वितरण तथा तेहन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आ विकासक अवसर तथा लाभक लेल विशेष व्यवस्था करबाक ।
- संवैधानिक निकायक रुपमे एकटा मुस्लिम आयोग रहत ।
- राज्यक संरचना करैतकाल समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आ पहिचानक संरक्षण करबाक ।
- राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायक हएत ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होबऽबला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभाक निर्वाचनक लेल राजनीतिक दलक उम्मेदवारी समावेशी आधारमे करबाक ।
- नेपाली सेनामे मुस्लिमके सेहो प्रवेश समानता आ समावेशी सिद्धान्तक आधारमे करबाक ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति करबाक ।
- जनसंख्याक घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातक सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षके सेहो ध्यानमे रखैत काज करबालेल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हएत ।

४.१० अपांगता भेल व्यक्तिक अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबाक राज्यक राजनीतिक उद्देश्य हएत ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करबालेल समानुपातिक समावेशी आ सहभागितामूलक सिद्धान्तक आधारमे समतामूलक समाजक निर्माण करबाक ।
- सामाजिक सुरक्षा आ सामाजिक न्याय प्रदान करैतकाल सब लिंग, क्षेत्र आ समुदायभितरके आर्थिक रूपसँ विपन्नके प्राथमिकता प्रदान करबाक राज्यक सामाजिक न्याय आ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हएत ।
- सामान्य कानूनक प्रयोगमे शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वा एहने अन्य कोनो आधारमे भेदभाव नईं कएल जायत ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिसँ पिछडल, अपांगता भेल व्यक्ति सहित नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासक लेल कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करबाक ।
- अपांगता भेल आ आर्थिक रूपसँ विपन्न नागरिकके कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पएबाक हक हएत ।
- दृष्टिविहीन नागरिकके ब्रेललिपि तथा बहिर आ स्वर वा बोली सम्बन्धी अपांगता भेल नागरिकके सांकेतिक भाषाक माध्यमसँ कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पएबाक हक हएत ।
- सामाजिक रूपसँ पाछा परल अपांगता भेल व्यक्तिके सेहो समावेशी सिद्धान्तक आधारमे राज्यक निकायमे सहभागी हएबाक सामाजिक न्यायक हक हएत ।
- अपांगता भेल नागरिकके विविधताक पहिचानसहित मर्यादा आ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करबाक आ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामे समान पहुँचक हक हएत ।
- आर्थिक रूपसँ विपन्न, अशक्त आ असहाय अवस्थामे रहल, अपांगता भेल नागरिकके सामाजिक सुरक्षाक हक हएत ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसँ कम्तीमे एक गोटे अपांगता भेल व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हएबाक सुनिश्चित कएल गेल ।
- अपांगता भेल व्यक्तिके सेहो हक अधिकारक संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास आ सम्वृद्धिक लेल संवैधानिक आयोगक रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगक व्यवस्था कएलगेल ।
- नेपाली राजदूत आ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।
- संवैधानिक अंग आ निकायक पदमे समावेशी सिद्धान्तक आधारमे नियुक्ति कएल जायत ।